

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक २२ जून, 2016

संख्या-7 / सी0सी0ए0-1024 / 2001(खंड-11)गृ0आ0...../ 4870 / बिहार
अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 (7/81) की अध्याय 2 की धारा 12 (2) के अंतर्गत
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल राज्य के सभी जिला
दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का
अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गृह (आरक्षी) विभाग के एतद् विषयक अधिसूचना
संख्या-1909 दिनांक 10.03.2016 के क्रम में अगले तीन महीनों के लिए अर्थात् दिनांक
01.07.2016 से 30.09.2016 तक (एक जुलाई दो हजार सोलह से तीस सितम्बर दो
हजार सोलह तक) प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रंजन कुमार सिन्हा)

ज्ञापाक-7 / सी0सी0ए0-1024 / 2001(खंड-11)गृ0आ0...../ 4870 / पटना, दिनांक 22 जून, 2016

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 / प्रभारी
ई0-गजट कोषांग, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं बिहार, पटना को राजपत्र के अगले
अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ज्ञापाक-7 / सी0सी0ए0-1024 / 2001(खंड-11)गृ0आ0...../ 4870 / पटना, दिनांक 22 जून, 2016

प्रतिलिपि:- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रमण्डलीय
आयुक्त / सभी जिला दण्डाधिकारी / महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, बिहार,
पटना / सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक / सभी
पुलिस अधीक्षक / सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को
सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव